पंचम् विकास पत्रिका

विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 02 | अंक : 08 | सितम्बर 2022 | परस्पर संपर्क हेतु

जरूरी है योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी

नारायण परमार द्वारा

सरकार समाज में गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों/परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती हैं। लेकिन क्रियान्वयन की खामियों और कमजोर निगरानी व्यवस्था के कारण योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता जिससे योजनाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाती हैं।

मैं (नारायण परमार) सीहोर जिले के सालीखेड़ा गांव भ्रमण के दौरान किसान गुजमल बारेला से मिला। गुजमल से बात करते हुए मैंने उनके घर की छत पर काले रंग के सिंचाई पाइप लटके देखे, तो जिज्ञासा वश उनसे पूछा कि, 'आपको ये पाइप कहां से मिले हैं?' गुजमल ने बताया कि हमारे गांव का रेमसिंह एक व्यक्ति को लेकर मेरे पास आया था। उन्होंने मुझे ड्रिप सिस्टम और इसके फायदे के बारे में बताया। रेमसिंह के कहने पर मैंने भी ड्रिप सिस्टम के पंजीयन हेतु कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। कुछ दिन बाद मुझे 63 एमएम मोटाई और 20 फिट लम्बाई के 20 नग पाइप और पतली नली के 2 बन्डल दिए गए। रेमसिंह के साथ जो व्यक्ति आया था उसने मेरी जमीन की जियो-टैगिंग भी की थी। जब किसान से पूछा कि, ''इसके लिए आपने कितने पैसे दिये थे?'' जिस पर किसान ने कहा कि मेरे से कोई पैसे नहीं लिए गए। मैंने किसान से दूसरा सवाल किया कि इसके अलावा और कुछ सामान आपको मिला था? किसान गुजमल ने कहा नहीं, इसके अलावा मुझे कोई सामान नहीं मिला। किसान की बातों से मुझे कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को उपयोग करने के लिए पाइप के अलावा जो अन्य सामग्री की जरूरत होती है, वह किसान को नहीं दी गई। जिसके कारण जो सामग्री किसान को दी गई, किसान के कोई काम की नहीं थी।

ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के मुद्दे को मैंने संयुक्त किसान मोर्चा की मासिक बैठक में रखा। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा सीहोर जिले के छोटे-छोटे किसान समूहों और व्यक्तिगत किसानों का एक संगठन है, जो जिला स्तर पर खेती-किसानी से संबंधित मुद्दों और समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है। बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि वास्तविक स्थिति पता करने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लाभार्थियों की सूची प्राप्त कर इसका सत्यापन किया जाएगा। जिस पर कार्यवाही करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने सूची अनुसार 5 गांवों के 46 लाभार्थियों से जानकारी ली जिसमें निम्न बातें उभरकर आयीं -

- किसानों को मात्र 10-15 हजार रुपये की सामग्री प्रदान की गई है, जबकि योजना के तहत किसानों से लगभग 45 से 50 हजार रुपये का अंशदान लिया जाता है।
- विभाग द्वारा जिले में चयनित किसानों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उपलब्ध कराने और लगाने की जिम्मेदारी एक कम्पनी को सौंपी गई थी।
- कम्पनी द्वारा किसानों को गुणवत्ता युक्त कम्पलीट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उपलब्ध कराने की बजाय घटिया किस्म के पाइप उपलब्ध कराए गए और पूरी सामग्री भी नहीं दी गई जिससे किसानों के लिए ये अनुपयोगी थे।
- जियो-टैगिंग के लिए एक ही सामग्री को कई किसानों के यहां लगाकर फोटो निकाल लिए गए।

ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के लाभार्थियों से मिली जानकारियों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने मासिक बैठक में चर्चा कर उप संचालक, उद्यानिकी विभाग जिला सीहोर को पूरे मामले से अवगत कराने का निर्णय लिया। संयुक्त किसान मोर्चा की शिकायत पर विभाग ने लाभार्थियों के यहां भौतिक सत्यापन करवाया, जिसमें 13 किसानों को पूरी सामग्री न दिये जाने की बात साबित हुई। उप संचालक द्वारा संबंधित कम्पनी को सभी 13 किसानों के यहां ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की पूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कम्पनी द्वारा पूरा सामान उपलब्ध कराने पर किसानों ने पहली बार ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग कर गर्मी के मौसम में सब्जी का उत्पादन लिया। ड्रिप इरीगेशन का स्वयं उपयोग करने से किसानों को इस बात का भरोसा हो गया कि इसके माध्यम से कम पानी में भी फसलों की अच्छी पैदावार ली जा सकती है।

किसानों के द्वारा चलायी जा रही योजनाएं अपने उद्देश्यों को पाने में तभी सफल होगी जब योजनाओं का लाभ पात्र और जरूरतमन्द किसानों को मिले। ऐसी योजनाएं जिनमें किसानों को कृषि उपकरण या सेवा देने के लिए किसी एजेन्सी को अधिकृत किया जाता है, केवल उनकी नियुक्ति कर देने से बात नहीं बनेगी। संबंधित एजेंसी द्वारा किसानों को गुणवत्ता युक्त सामग्री या सेवाएं दी जा रही हैं या नहीं इस बात को विभाग द्वारा सतत निगरानी कर सुनिश्चित करना होगा।

सीमान्त किसानों को कुल लागत का 55 प्रतिशत अनुदान

उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत कम पानी में अधिक सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अनुदान पर दिया जाता है। जिसके तहत किसानों को एक एकड़ जमीन पर सिंचाई के लिए 65 मिमी साइज के 17 पाइप, ड्रिप बंडल के 28 फिल्टर, 1 वेंचुरी, 1 स्क्रीन फिल्टर, 1 नियंत्रण वॉल्ब का सैट उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें सभी वर्ग के लघु/सीमान्त किसानों को कुल लागत का 55 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

जानकारी

कैसे करें ग्राम पंचायत का प्रबंधन

विनोद चौधरी द्वारा

किसी व्यवस्था को चलाने के लिये आर्थिक व मानव संसाधन की उपलब्धता जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है इनका सही प्रबंधन किया जाना। बेहतर प्रबंधन व्यवस्था से कम संसाधनों में भी अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं वहीं कुप्रबंधन से पर्याप्त संसाधनों के रहते भी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। बेहतर प्रबंधन व्यवस्था के चलते ही रालेगांव सिद्धी तथा हिबरे बाजार जैसे उदाहरण खड़े हुए हैं जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनायी है।

ग्राम पंचायतों के प्रबंधन में चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह आता है कि ग्रामवासी भागीदारी क्यों करें? इससे उन्हें क्या मिलने वाला है? जब तक लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, अपनी बात रखने के अवसर नहीं दिये जाएंगे, उन्हें निर्णयों में भागीदार नहीं बनाया जाएगा, उन्हें मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने के लिये मजबूर होना पड़ेगा तब तक उन्हें प्रबंधन व्यवस्था में भागीदार नहीं बनाया जा सकता।

अच्छी प्रबंधन व्यवस्था के लिये पारदर्शी वातावरण का निर्माण करना तथा जिम्मेदारों का अपने कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह होना बेहद जरूरी है। पंचायत स्तर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें लोग बिना किसी भय के अपनी बात रख सकें। गांव के हर एक व्यक्ति की मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच हो। लोगों के पास सम्मानपूर्वक जीने के अवसर हों तथा पंचायत में निवास करने वाला हर व्यक्ति अपने आप पर गर्व महसूस कर सके।

ग्राम पंचायत के बेहतर प्रबंधन के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना जरूरी हैः

नियमित बैठकें

ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और स्थायी समितियों की नियमित बैठकें पंचायत प्रबंधन का अहम हिस्सा है।

पंचायत की नियमित बैठक

पंचायत प्रतिनिधियों की नियमित बैठकों के आयोजन को निम्न क्रम में समझा जा सकता है।

- **बैठक बुलाने का तरीका –** आजकल मोबाइल का प्रचलन है, अतः पंचायत सदस्यों को बैठक की सूचना देने के लिये मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत पटल पर लिखकर या सभी प्रतिनिधियों को मान्य किसी अन्य तरीके को भी बैठक की सूचना देने के लिए अपनाया जा सकता है।
- **एजेन्डा बनाना-** एजेन्डा तैयार करने की जिम्मेदारी सचिव की है। सचिव को सभी प्रतिनिधियों से राय मशविरा कर एजेन्डा तैयार करना चाहिये। यदि सरकार द्वारा पहले से कोई नियत एजेन्डा दिया गया है तब भी पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा कर जरूरी बिन्दुओं को एजेन्डा में जोड़ा जा सकता है। समितियों की बैठक से निकले मुद्दों को भी एजेन्डे में प्राथमिकता से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि समिति के सदस्यों में बैठकों की स्वीकार्यता बढ़े।
- **एजेन्डा जारी करना** - सामान्य बैठक का एजेन्डा कम से कम 7 दिन एवं विशेष बैठक का एजेन्डा 3 दिन पहले ही निकल जाना चाहिए। सहभागियों की सुविधा के हिसाब से बैठक के समय का निर्धारण किया जाना बेहतर होगा। यदि बैठक का समय सुविधाजनक नहीं रखा गया तो प्रतिनिधियों की उपस्थिति प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी।

- **बैठक का आयोजन करना** - नियत तारीख व समय पर पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। कोरम पूर्ण होने पर एजेन्डा के अनुसार विषयवार चर्चा की जावे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बैठक में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को अपना पक्ष व मुद्दे रखने का अवसर प्राप्त हो।
- **एजेन्डा में शामिल बिन्दुओं पर निर्णय लेना** - हर एक बिन्दु पर आपस में चर्चा कर तथ्यों और बहुमत के आधार पर स्पष्ट निर्णय लिया जाना चाहिये। यदि किसी मुद्दे पर निर्णय लेने में जानकारी का अभाव हो अथवा ऐसा लगे कि अन्य लोगों की सलाह के बाद ही निर्णय लेना उचित होगा तो इसके लिये एक छोटी समिति का गठन कर या किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदारी दी जानी चाहिये, जो इस कार्यवाही को तय समय में पूरा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी/करेगा। बैठक की कार्यवाही और लिये गए निर्णयों को बैठक रजिस्टर में लिखा जाये। जिसमें कौन-कौन से निर्णय लिये गए और उन्हें कब से, कैसे लागू किया जायेगा स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। बैठक को समाप्त करने के पूर्व पूरी कार्यवाही को पढकर सुनाया जाये और उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लिए जायें।
- **पालन प्रतिवेदन तैयार करना** - ग्राम पंचायत द्वारा पिछली बैठकों में जो निर्णय लिये गए उन पर क्या कार्यवाही की गई इसका पालन प्रतिवेदन तैयार किया जाये और बैठक में सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाया जावे। यदि आवश्यक हो तो उन निर्णयों या विषयों पर पुनः चर्चा की जावे।

ग्राम सभा की नियमित बैठकें

पंचायत सचिव की जवाबदेही है कि वह ग्राम सभा की नियमित बैठकों का आयोजन कराए। ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने का कार्य ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाना चाहिए। पंचायत राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक ग्राम में वर्ष में कम से कम चार ग्राम सभाओं का आयोजन होना अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राम एवं ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार इससे अधिक ग्राम सभाओं का अयोजन भी किया जा सकता है।

ग्राम सभा की बैठक हेतु निम्न चरणों का पालन किया जाना चाहिए -

- **एजेन्डा बनाना** - ग्राम सभा की आवश्यकता, समितियों के सुझाव, जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त सुझावों एवं लोगों की मांग के अधार पर एजेन्डे में बिन्दुओं को जोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई ग्राम सभा सदस्य बैठक के दौरान भी किसी मुद्दे को बैठक में जोड़ना चाहे तो जोड़ा जाए।

- एजेन्डा जारी करना
- एजेन्डा एवं बैठक की सूचना देना -डुगडुगी बजाकर या अन्य प्रचलित मान्य तरीकों से भी लोगों को सूचना दी जा सकती है।
- ग्राम सभा की बैठक का आयोजन
- पिछली ग्राम सभा की बैठक में लिये गए निर्णय और उनके पालन प्रतिवेदन की प्रस्तुति
- बैठक में मुद्दों पर बिन्दु वार चर्चा करना और बहुमत के आधार पर निर्णय लेना
- बैठक कार्यवाही का संधारण करना
- बैठक कार्यवाही का विवरण ग्राम सभा सदस्यों के सामने पढ़कर सुनाना
- ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर करवाना
- अच्छी ग्राम सभा के आयोजन के साथ-साथ बैठक की कार्यवाही का विवरण, लिये गए निर्णयों को भी स्पष्ट रूप से बैठक कार्यवाही पंजी में लिखा जाना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की स्थायी समितियों की बैठकें-

- स्थायी समितियों की नियमिति बैठकें आयोजित कराना पंचायत प्रबंधन का हिस्सा है। सभी स्थायी समितियों की माह में कम से कम एक बैठक आयोजित होना चाहिये। इसके अलावा यदि 50 प्रतिशत सदस्य लिखित में बैठक आयोजित कराने की मांग करते हैं तो कभी भी बैठक बुलायी जा सकती है।
- **समिति की बैठकों का एजेन्डा बनाना** - ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों की स्थायी समितियों की बैठकों के एजेन्डा तैयार करने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की है। एजेन्डा तैयार करने में समिति के सदस्यों से चर्चा कर उनके मुद्दों को भी शामिल करना चाहिये।
- **बैठकों की सूचना देना** - ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की बैठकों के लिये 3 दिन पूर्व और ग्राम सभा की स्थायी समितियों की बैठकों के लिये 5 दिन पूर्व सचिव द्वारा सभी सदस्यों को सूचना दी जानी चाहिये। सूचना प्रदान करते समय बैठक के विषय, समय एवं स्थान की पूर्ण जानकारी दी जाए। यदि ग्राम पंचायत की समितियों के सदस्य अलग-अलग गांवों में निवास करते हों तो आधुनिक संधाधन जैसे - मोबाइल के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है।
- **स्थायी समितियों की बैठकों में कोरम** - ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों की स्थायी समितियों की बैठकों में कोरम पूरा होने के लिये कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति होना चाहिये।
- **स्थायी समितियों की बैठकों में निर्णय –** समितियों की बैठकों में किसी भी मुद्दे पर चर्चा उपरान्त बहुमत और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लिया जावेगा। यदि किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो तो समिति अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

कार्यवाही लेखन – बैठक के दौरान कार्यवाही लेखन का काम सचिव द्वारा किया जायेगा एवं बाद में उसको पढ़कर सुनाया जायेगा । बैठक के उपरान्त कार्यवाही की प्रति सभी सदस्यों के साथ साझा करना बेहतर रहेगा।

(अगले अंक में निरन्तर जारी.........)

कैसे बनाएं गांव की जल सुरक्षा योजना

विनोद चौधरी द्वारा

सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत गांव-गांव में अभियान के रूप में नल जल योजनाओं की स्थापना की जा रही है। लेकिन इन नल जल योजनाओं से लम्बे समय तक लोगों को पानी मिलता रहे और इनकी उपयोगिता बनी रहे इसके लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता वाले जल स्रोतों की आवश्यकता को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नल जल की कार्य योजना बनाते समय जल सुरक्षा योजना बनाने को महत्व दिया जाता है।

जल सुरक्षा योजना क्या है?

गांव में पेयजल और विभिन्न कार्यों के लिए सालाना कितने पानी की आवश्यकता है, कितना पानी गांव में मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं से प्राप्त हो सकता है, पानी की आवश्यकता और उपलब्धता में कितना अन्तर है, इस अन्तर को पाटने के लिए जो योजना बनायी जाती है उसे जल सुरक्षा योजना कहा जाता है।

जल सुरक्षा योजना के तीन प्रमुख घटक होते हैं

1. गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना
2. गांव में उपलब्ध जल की मात्रा की गणना
3. आवश्यकता और उपलब्धता के अंतर को कम करने के लिए जल संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधि तय करना।

गांव में मुख्यतः तीन तरह की जरूरतों के लिए पानी की आवश्यकता होती है - घरेलु उपयोग के लिए, पशुधन के लिए एवं कृषि के लिए। आइये हम सिलसिलेवार जल सुरक्षा योजना बनाने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं -

घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना

ऐसा माना जाता है कि दैनिक कार्यों के लिए एक व्यक्ति को एक दिन में औसतन 55 लीटर पानी लगता है। आप अपने गांव में घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्नानुसार कर सकते हैं –

पूरी जनसंख्या के लिए साल भर में पानी की आवश्यकता = गांव की कुल जनसँख्या X 55 (प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता) X 365 (एक साल में 365 दिन होते हैं)

उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक गांव जिसका नाम रामपुर है इसकी कुल जनसंख्या 1500 है तो वहां एक साल में पूरी जनसंख्या के घरेलू उपयोग के लिए 1500 X 55 X 365 = 3,01,12,500 लीटर पानी की आवश्यकता होगी।

पशुधन के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना

पशुओं की प्रजाति अनुसार प्रतिदिन पानी की आवश्यकता भी अलग-अलग मात्रा में होती है। बड़े पशुओं (गाय / बैल / भैंस) को प्रतिदिन 70 लीटर, छोटे पशुओं (भेड़ / बकरी) को प्रतिदिन 20 लीटर एवं मुर्गा / मुर्गी को प्रतिदिन लगभग 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए रामपुर गांव में बड़े पशुओं की संख्या 450, छोटे पशुओं की संख्या 160 और मुर्गा-मुर्गी की संख्या 100 है तो पशुधन के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्नानुसार की जा सकती है –

- पशुओं के लिए साल भर में पानी की आवश्यकता = प्रजाति विशेष के पशुओं की संख्या X प्रजाति विशेष को प्रतिदिन पानी की औसत आवश्यकता X एक साल में पानी की आवश्यकता
- बड़े पशुओं हेतु साल में पानी की आवश्यकता : 450 X 70 X 365 = 1,14,97,500 लीटर
- छोटे पशुओं हेतु साल भर में पानी की आवश्यकता : 160 X 20 X 365 = 11,68,000 लीटर

- मुर्गा/मुर्गियों हेतु साल भर में पानी की आवश्यकता : 100 X 02 X 365 = 73,000 लीटर

उपरोक्त तीनों प्रकार के पशुओं की साल भर की पानी की आवश्यकताओं का योग कर सभी पशुधन की लिए पानी की आवश्यकता की गणना कर सकते हैं।

- सभी पशुओं के लिए साल भर में पानी की कुल आवश्यकता : 1,14,97,500 + 11,68,000 + 73,000 = 1,27,38,500 लीटर

खेती के लिए पानी की आवश्यकता की गणना

अलग-अलग फसलों में सिंचाई के लिए प्रति एकड़ अलग-अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। गेहूँ के लिए लगभग 8 लाख लीटर प्रति एकड़ एवं चना के लिए 3 लाख लीटर प्रति एकड़ पानी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए रामपुर गांव में 800 एकड़ में गेहूं तथा 800 एकड़ में चने की फसल बोयी जाती है तो रामपुर गांव में कृषि के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्नानुसार कर सकते हैं –

फसल का प्रकार : फसल का रकबा X सिंचाई हेतु प्रति एकड़ पानी की आवश्यकता = कुल पानी की आवश्यकता

गेहुं के लिए पानी की आवश्यकता : 800 X 8,00000 = 64,00,00,000 लीटर

चने के लिए पानी की आवश्यकता : 800 X 3,00000 = 24,00,00,000 लीटर

उपरोक्त दोनों फसलों के लिए पानी की आवश्यकता का योग करने से कृषि के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता निकल जाएगी : 64,00,00,000 + 24,00,00,000 = 88,00,00,000 लीटर

घरेलु उपयोग, पशुधन एवं खेती के लिए पानी की आवश्यकता का योग करने से रामपुर गांव में पानी की सालाना आवश्यकता निकल जाएगी-

घरेलु उपयोग के लिए पानी की कुल आवश्यकता : 3,01,12,500 लीटर

पशुधन के लिए पानी की कुल आवश्यकता : 1,27,38,500 लीटर

खेती के लिए पानी की कुल आवश्यकता : 88,00,00,000 लीटर

कुल योग : 92,28,51,000 लीटर

रामपुर गांव को पूरे साल में लगभग 92 करोड़ 28 लाख 51 हजार लीटर पानी की आवश्यकता होगी।

गांव में उपलब्ध जल की गणना

गांव में वर्षा जल एवं मौजूदा जल संग्रहण संरचनाएं जल प्राप्ति के दो प्रमुख स्रोत हैं। गांव में उपलब्ध जल की गणना के लिए कुल रकबा, औसत वर्षा एवं सभी जल भंडारण संरचनाओं की संख्या, उनकी लम्बाई-चौड़ाई की जानकारी होना जरूरी है।

वर्षा से उपलब्ध जल की गणना

एक अनुमान के अनुसार गांव में जितनी बारिश होती है उसका 6% पानी ही जमीन के अंदर जा पाता है (मिट्टी के प्रकार के अनुसार यह बदल सकता है)। गांव में वर्षा से उपलब्ध पानी की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है –

रामपुर गांव का कुल रकबा मान लीजिए 2200 एकड़ है और यहां की औसत वर्षा 0.7 मीटर है। सबसे पहले गांव के रकबा को एकड़ से वर्ग मीटर में बदलने के लिए 4047 से गुणा करें : 2200 X 4047 = 89,03,400 वर्ग मीटर

- गांव में वर्षा जल से प्राप्त पानी की गणना : कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) X औसत वर्षा (घन मीटर) X जमीन के अन्दर जाने वाली वर्षा जल की मात्रा = उपलब्ध होने वाले वर्षा जल की मात्रा
- 89,03,400 वर्ग मीटर X 0.7 X 0.06 = 3,73,942.8 घन मीटर
- घन मीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, अर्थात 3,73,942.8 घन मीटर X 1000 = 37,39,42,800 लीटर पानी गांव में वर्षा जल से प्राप्त होगा।

मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं में उपलब्ध पानी की गणना

गांव में मुख्यतः दो प्रकार के संरचनायें होती हैं, गोलाकार संचरनाओं में कुंए और चौकोर संरचनाओं के अंतर्गत तालाब / डैम, आदि। इन सभी संरचनओं के साइज एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। गणना को आसान बनाने के लिए हम सभी कुंओं की औसत चौड़ाई और औसत गहराई ले लेते हैं। इसी प्रकार तालाब/डेम के लिए भी औसत लम्बाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई ले लेते हैं।

कुंओं से मिलने वाले पानी की गणना

मान लीजिए रामपुर गांव में कुल 18 कुंए हैं। कुंओं की औसत त्रिज्या (अधिकतम चौड़ाई की आधी माप) 2 मीटर और औसत गहराई 12 मीटर है।

- सभी कुओं से मिलने वाले पानी की मात्रा = कुल कुंओं की संख्या X 3.14 X (कुँए का त्रिज्या X कुँए का त्रिज्या) X कुँए की गहराई X 1000
- अर्थात सभी कुंओं से, 18 X 3.14 X 2 X 2 X 12 X 1000 = 27,12,960 लीटर पानी मिलेगा

तालाब से मिलने वाले पानी की गणना

मान लीजिए रामपुर गांव में कुल दो तालाब हैं जिनकी औसत लम्बाई 10 मीटर, औसत चौड़ाई 12 मीटर और औसत ऊंचाई 3 मीटर है। इनसे मिलने वाले पानी की गणना इस प्रकार से करें –

- तालाबों से मिलने वाले पानी मात्रा = तालाबों की संख्या X लम्बाई X चौड़ाई X ऊंचाई (मीटर में) X 1000
- अर्थात दोनों तालाब से, 2 X 10 X 12 X 3 X 1000 = 7,20,000 लीटर पानी मिलेगा

डेमों से मिलने वाले पानी की गणना

मान लीजिए रामपुर गांव में कुल 1 डेम हैं जिसकी औसत लम्बाई 600 मीटर, औसत चौड़ाई 10 मीटर और औसत ऊंचाई 1 मीटर है। इससे मिलने वाले पानी की गणना इस प्रकार से करें –

- डेमों से मिलने वाले पानी मात्रा = डेमों की संख्या X लम्बाई X चौड़ाई X ऊंचाई (मीटर में) X 1000
- अर्थात डेम से, 1 X 600 X 10 X 1 X 1000 = 60,00,000 लीटर पानी मिलेगा

उपरोक्त सभी संरचनाओं से मिलने वाले पानी की मात्रा का योग करने से गांव में मौजूद सभी जल संग्रहण संरचनाओं से प्राप्त होने वाले कुल पानी की मात्रा निकल आयेगी।

इसका मतलब हुआ कि सभी संरचनाओं से कुल 27,12,960 + 7,20,000 + 60,00,000 = 94,32,960 लीटर पानी मिलेगा।

वर्षा जल एवं ग्राम स्तर पर समस्त स्त्रोतों से उपलब्ध पानी को जोड़ने से गांव में कुल पानी की उपलब्धता निकल जाएगी (37,39,42,800 + 94,32,960 = 38,33,75,760 लीटर)।

अर्थात रामपुर गांव में लगभग 38 करोड़ 33 लाख 75 हजार 760 लीटर पानी उपलब्ध है।

गांव में पानी की कुल वार्षिक आवश्यकता तथा उपलब्धता में अंतर

हमने गांव में घरेलू, पशुधन और सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता की गणना की है। इसके साथ ही गांव में बारिश से और विभिन्न संरचनाओं से प्राप्त होने वाले पानी की गणना भी की है। गांव में पानी की कुल उपलब्ध मात्रा में से विभिन्न उपयोग के लिए पानी की आवश्यक मात्रा को घटाने पर हमें पता चलेगा की पानी की मांग और उपलब्धता में कितना अंतर है ।

गांव में उपलब्ध कुल पानी की मात्रा - गांव में पानी की कुल आवश्यक मात्रा = अन्तर

38,33,75,760 - 92,28,51,000 = -53,94,75,240 लीटर

इसका मतलब यह हुआ कि रामपुर गांव में विभिन्न उपयोग के लिए जितने पानी की सालाना आवश्यकता है, उससे गांव में 53,94,75,240 लीटर पानी कम है। अब इस कमी को दूर करने के लिए हमें जल संरक्षण के विभिन्न उपाय अपनाने के साथ पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं की जल भण्डारण क्षमता बढ़ाने तथा कुछ नई जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण की योजना बनानी होगी। तभी गांव पानी के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। पुरानी अधोसंरचनओं के निर्माण और मरम्मत के लिए विभिन्न योजनाओं की मदद ली जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो रामपुर गांव के लोगों को पेयजल सहित अन्य उपयोग के लिए पानी के अभाव की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

इस अभ्यास का उपयोग कर आप अपने गांव की जल सुरक्षा योजना बना सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

विनोद चौधरी द्वारा

सरकारी नौकरी से सेवा निवृत होने वाले व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि उन्हें वृद्धावस्था में किसी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े, हर माह पेंशन दी जाती है। वहीं एक किसान जब तक उसके शरीर में ताकत होती है, खेती में मेहनत करता है और वृद्धावस्था में जब वह मेहनत नहीं कर पाता तो अपने बच्चों पर आश्रित हो जाता है। लेकिन कई मामले ऐसे भी होते है कि बच्चे जमीन-जायदाद पर कब्जा कर बूढ़े मां-बाप को घर से बेदखल कर देते हैं। नियमित आमदनी का कोई स्रोत ना होने के कारण संकट ग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खासकर छोटे और सीमान्त श्रेणी के किसानों के सामने यह गम्भीर समस्या है।

किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 31 मई 2019 से एक योजना शुरू की गई, जिसका नाम 'प्रधानमंत्री किसान मानधन' योजना है जो छोटे और सीमान्त श्रेणी के वृद्ध किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग करती है। आइये हम योजना को और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं –

योजना के लिए पात्रता

- आवेदक लघु, सीमान्त श्रेणी का कृषक हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो।
- सरकारी रिकार्ड के अनुसार अधिकतम 2 हैक्टेयर तक खेती की जमीन हो।
- आवेदक 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रति माह योजना में शामिल होने की आयु अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान जमा करने के लिए सहमत हो।

योजना की विशेषताएं

- लाभार्थी किसान को 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन।
- स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना।
- किसान द्वारा जमा राशि पर सरकार द्वारा मैचिंग अंशदान का सहयोग।

योजना के लाभ

- 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद लाभार्थी किसान को प्रति माह 3000/ - रुपये सुनिश्चित पेंशन।
- यदि लाभार्थी कृषक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो पति या पत्नी योजना को जारी रखने और 50% राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पेंशन राशि लाभार्थी किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- यदि कोई लाभार्थी योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसे केवल उसके द्वारा दिए गए अंशदान का हिस्सा बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाएगा।
- यदि कोई लाभार्थी योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष या उससे अधिक अवधि पूरी करने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन उसकी आयु साठ वर्ष से कम है, तो उसके योगदान का हिस्सा ही उसे संचित ब्याज के साथ वास्तव में वापस कर दिया जाएगा।
- लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कॉर्पस को वापस फंड में जमा कर दिया जाएगा।

कौन नहीं ले सकता योजना का लाभ

- आवेदक जिनके पास सरकारी रिकार्ड अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक खेती योग्य जमीन हो।
- ऐसे आवेदक जो राष्ट्रीय पेंशन योजना या कर्मचारी राज्य बीमा निगम या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन योजना के लाभार्थी हो।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता/ पीएम-किसान खाता

आवेदन कहां करें

आवश्यक दस्तावेजों के साथ कोई भी पात्र किसान अपने नजदीकी सीएससी सेन्टर या ऑनलाइन सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

पंचायत और विकास समाचार

जैविक खेती से लाभान्वित हो रहे किसान

खेती में रसायनिक उत्पादों के स्थान पर स्वयं जैविक उत्पादों का निर्माण कर जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे किसान

नारायण परमार द्वारा

हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्राधान देश है। वर्तमान कृषि पद्धति से हम सब भलीभांति परीचित हैं, जिसमें रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। जिससे उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम प्रकृति के साथ-साथ मानव जीवन पर भी देखने को मिल रहे हैं। जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण पंजाब से चलने वाली एक ट्रेन, जिसे लोग उसके मूल नाम से नहीं बल्कि केंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं। यह ट्रेन जम्मू से चलती है और पंजाब के भटिंडा से होकर बीकानेर पहुंचती है। इस ट्रेन से बड़ी संख्या में पंजाब के केंसर मरीज बीकानेर जाते हैं। इसलिए इस ट्रेन का नाम केंसर ट्रेन पड़ गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को केंसर का मरीज बनाने में वर्तमान रासायनिक खेती का बहुत बड़ा योगदान है। लगातार रसायनों के इस्तेमाल से खेतों की मिटटी में पोषक तत्वों की कमी हो रही है और जमीन बंजर होने की कगार पर है।

रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों के चलते सरकार द्वारा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती/परम्परागत खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि जिस जमीन पर वर्षों से रसायनिक खादों एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल कर खेती की जा रही है, वहां हमने जमीन को इनके लिए आदि बना दिया है। ऐसी जमीनों पर एकदम और पूर्णतः जैविक खेती या परम्परागत खेती की शुरूआत करना बुद्धिमानी का फैसला नहीं कहा जा सकता। इसका ताजा उदाहरण श्रीलंका है जहां खेती में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल पूरी तरह से बन्द कर जैविक खेती अपनाने से खाद्यान, फल, सब्जी आदि के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा। उत्पादन कम होने से खाने की सामग्रियों के दाम इतने बढ़ गए कि आम लोगों की खरीदने की क्षमता से बाहर हो गए। लोग सड़कों पर आ गए जिससे वहां आर्थिक के साथ-साथ राजनैतिक हालात बेहद खराब हो गए।

समर्थन संस्था द्वारा फोर्ड फाउन्डेशन के सहयोग से मध्यप्रदेश के चार जिले सीहोर, पन्ना, रायसेन और उमरिया में सतत और स्थाई कृषि विकास के लिए काम किया जा रहा है। जिसके तहत खेती में लागत के लिए किसानों की बाजारू

(शेष पेज 5 पर)

घर पर जैविक टॉनिक (अमीनो एसिड) बनाने की विधि

आवश्यक सामग्री : सोयाबीन 1 किलो, गुड़ 1 किलो, 5 लीटर पानी और एक बड़ा बर्तन

विधि : सोयाबीन को 48 घन्टे पानी में भिगाकर रखें, इसके बाद मिक्सर या पत्थर पर पीसकर पेस्ट बना लें। 5 लीटर पानी में गुड़ का घोल तैयार कर इसमें सोयाबीन का पेस्ट अच्छे से मिलाकर 7 दिन के लिये रख दें। 7 दिन बाद सूती कपड़े से घोल को छानकर 200 ग्राम प्रति पम्प की मात्रा में कीटनाशक के साथ फसल पर स्प्रे करें।

(पेज 4 का शेष)

निर्भरता कम करने और ऐसी तकनीक जो उत्पादन को प्रभावित न करे, किसानों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। किसान स्वयं घर पर ही (होम मेड) जैविक विधि से उर्वरक, डीकम्पोजर, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक एवं ग्रोथ प्रमोटर (टॉनिक) अमीनो एसिड, हयूमिक एसिड, जीवामृत का निर्माण कर बाजार पर निर्भरता और खेती की लागत को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस लेख में हम समर्थन संस्था के तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में किसानों के खेतों पर करवाए गए दो सफल प्रयोगों का उल्लेख कर रहे हैं।

केस 01 – सोयाबीन की फसल पर जैविक टॉनिक के परिणाम

सीहोर जिले के सीहोर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले सालीखेड़ा गांव में किसान प्रेम बारेला के खेत में लगायी गई सोयाबीन की फसल में बढ़वार के लिये रासायनिक टॉनिक के स्थान पर जैविक टॉनिक (एमीनो एसिड) का प्रयोग किया गया। इस जैविक टॉनिक को कीटनाशक के साथ मिलाकर फसल पर दो बार स्प्रे किया गया। सोयाबीन और गुड़ का उपयोग कर इस जैविक टॉनिक को घर पर ही तैयार किया गया।

जैविक टॉनिक एवं रासायनिक टॉनिक के खर्च और परिणाम की तुलना

विवरण	जैविक टॉनिक	रासायनिक टॉनिक
खर्च	घर पर 5 लीटर टॉनिक बनाने के लिए 1 किलो गुड़ और 1 किलो सोयाबीन की आवश्यकता जिसकी लागत लगभग 120 रूपए	बाजार में 1 लीटर टॉनिक की कीमत 1400 से 1600 रूपए
फसल पर उपयोग की मात्रा	5 लीटर टॉनिक 2 एकड़ की फसल पर दो बार स्प्रे के लिए पर्याप्त	1 लीटर टॉनिक 2 एकड़ फसल पर एक स्प्रे के लिए पर्याप्त
दो बार स्प्रे हेतु टॉनिक का खर्च	लगभग 120 रूपए	लगभग 3000 रूपए

जैविक टॉनिक के इस्तेमाल से लगभग 2800 रूपए की बचत हुई।

किसान प्रेम बारेला को जैविक टॉनिक का उपयोग करने से 2800 रूपए की बचत हुई। इसके अलावा अन्य किसानों की तुलना में प्रति एकड़ 2 क्विंटल के लगभग सोयाबीन की उपज भी अधिक मिली। दो क्विंटल सोयाबीन का बाजार मूल्य लगभग 10000 रूपए है। इस प्रकार किसान प्रेम को जैविक टॉनिक के इस्तेमाल से 12000 रूपए से अधिक का मुनाफा हुआ। साथ ही रासायनिक दवाओं के इस्तेमाल से फसल और मिट्टी पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण में भी मदद मिली। प्रेम बारेला के खेत में सोयाबीन की खड़ी फसल और उपज ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित किया है और आने वाले रबि सीजन में वे भी जैविक टॉनिक के प्रयोग की बात कर रहे हैं।

केस 02 – सब्जियों पर जैविक टॉनिक व जीवामृत के परिणाम

सीहोर जिले के सेमल घाटा गांव के किसान चम्पा, गांव में सबसे ज्यादा सब्जी की खेती करते हैं। इन्होंने बैगन और मिर्च की फसलों पर घर पर बना जैविक टॉनिक (अमीनो एसिड) और जीवामृत को कीटनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे किया। पहले वे रासायनिक टॉनिक का इस्तेमाल करते थे, जिसे बाजार से खरीदने में उन्हें लगभग 10000 रूपए खर्च करने पड़ते थे। उन्हें घर पर बनाए जैविक टॉनिक से भी उतना ही सब्जी का उत्पादन मिला जितना बाजार कस टॉनिक से मिलता था, लेकिन इससे उन्हें पैसे की बचत हुई।

उपरोक्त दोनों प्रयोग इस बात को साबित करते हैं कि खेती में जैविक पद्धतियों को अपनाकर किसानों की न सिर्फ उर्वरक और कीटनाशकों के लिए बाजार पर निर्भरता में कमी लायी जा सकती है बल्कि खेती की लागत को भी कम किया जा सकता है।

हालांकि सालों से रासायनिक खेती करते आ रहे किसानों और जमीन दोनों को जैविक खेती अपनाने में समय लगेगा, जिसके लिए समर्थन संस्था द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस तरह के छोटे-छोटे प्रसासों के माध्यम से ही जैविक खेती के प्रति किसानों में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

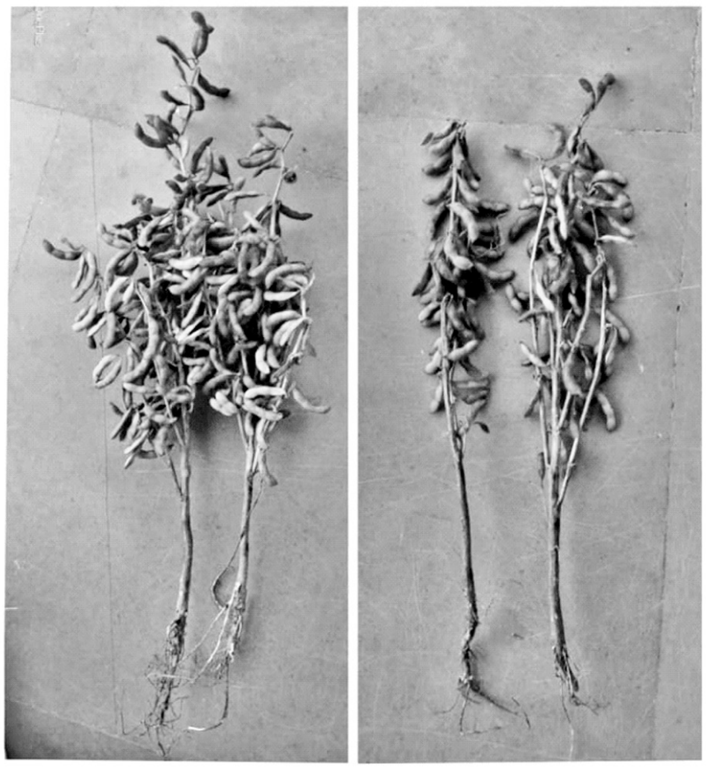

जैविक एमिनो एसिड का स्प्रे प्रयोग किया गया सोयाबीन किस्म JS 2117

रसायनिक एमिनो एसिड का स्प्रे प्रयोग किया गया सोयाबीन किस्म JS 2117

जैविक एमिनो एसिड स्प्रे

रसायनिक एमिनो एसिड स्प्रे

उन्नत और जैविक विधि से सब्जी का भरपूर उत्पादन

पन्ना जिले में समर्थन संस्था के जिला समन्वयक ज्ञानेद्र तिवारी का कुंजवन गांव भ्रमण और सब्जी उत्पादक किसानों के साथ चर्चा का अनुभव

ज्ञानेन्द्र तिवारी द्वारा

कुंजवन में किसान खेती में किस तरह सब्जी तथा अन्य फसलों का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, मैंने स्वयं किसानों के खेतों में लगी अनेक प्रकार की फसलें तथा उनसे चर्चा में जाना। इस लेख के माध्यम से मैं किसानों के साथ चर्चा के अनुभवों को साझा कर रहा हूं।

पन्ना जिले के पन्ना विकासखंड का कुंजवन कभी ग्राम पंचायत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज वह नगरपालिका क्षेत्र का हिस्सा है। उद्यान विस्तार अधिकारी संजीत बागरी और रिलायन्स फाउन्डेशन के कृषि विशेषज्ञ संतोष सिंह के साथ कुंजवन भ्रमण करने का अवसर मिला। भ्रमण के दौरान सब्जी उत्पादन में ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर, मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल न सिर्फ देखा बल्कि वहां के किसानों से चर्चा कर इन तकनीक के फायदे भी जाने। एक तरफ किसान इन तकनीकों का उपयोग कर कम पानी में भी अधिक क्षेत्रफल में खेती कर पा रहे थे, वहीं दूसरी ओर लागत को कम करने के लिये जैविक पद्धतियां भी अपना रहे हैं।

किसान नारायण सरकार ने बताया कि मैंने अपने खेत में परवल, टमाटर, बैगन की फसल लगायी है। उन्होंने बताया कि गांव के सभी किसान उन्नत तकनीक का उपयोग कर टमाटर सहित अन्य सब्जियों का अच्छा उतपादन ले रहे हैं। आज पहली बार मेरे खेत में 4-5 कैरेट टमाटर निकले थे जो बाजार में एक हजार रूपए प्रति कैरेट बिके। देशी किस्म होने के कारण मुझे प्रति कैरेट 200 रूपए अधिक मिले।

किसानों ने बताया कि सिप्रंकलर एवं ड्रिप पद्धति से सिंचाई में समय और पानी दोनों की बचत होती है। खरपतवार भी कम उगते हैं इसके अलावा दवा एवं खाद आसानी से पेंड़ो की जड़ों तक पहुंच जाता है।

कुंजवन के किसान जिस प्रकार कम लागत एवं कम पानी में सब्जी का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि यह गांव जिले के अन्य गांव के उन किसानों के लिये जो सब्जी उत्पादन कर रहे हैं या करना चाहते हैं सीखने के लिए आदर्श ग्राम हो सकता है।

स्थानीय लोगों को गांव में मिल रही मजूदरी

सब्जी उत्पादन में बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत होती है। जिससे गांव की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर आसानी से काम मिल जाता है। हमारे भ्रमण के दौरान भी कई महिलाएं खेतों में काम करते हुए मिलीं। सब्जी बागान में काम करने पर महिलाओं को 250 से 300 रूपए मजदूरी मिल जाती है और ताजी सब्जियां भी किसान से मिल जाती है।

उद्यान विस्तार अधिकारी संजीत बागरी ने बताया कि पिछले दो-तीन साल लगातार प्रयास के बाद किसानों को इन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में सफलता मिली है। इस सफलता में उपसंचालक प्रदीप खरे सहित उद्यानिकी विभाग की पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान है। आज पन्ना जिला सब्जी और आंवला उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर है। उन्होंने आगे कहा कि जिले में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाएं एवं विभिन्न शासकीय विभाग जैसे कृषि विभाग, पशु पालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग एवं मनरेगा जैसी योजनाओं से कराए गए जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों के सहयोग से ही यह सफलता मिली है।

रिलायन्स फाउन्डेशन और समर्थन संस्था के प्रतिनिधियों ने अपने कार्य क्षेत्र के सब्जी उत्पादक किसानों को कुंजवन का भ्रमण कराने का निर्णय लिया। उन्होंने कुंजवन के किसानों से आग्रह किया कि वे भी इन तकनीकों को जिले के अन्य गांवों तक पहुंचाएं ताकि पन्ना जिला फल, सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके और जिले में कुपोषण का पूरी तरह खात्मा किया जा सके।

खेत तालाब से दोहरा लाभ

विनोद चौधरी द्वारा

सीहोर जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम धबोटी एक कृषि प्रधान गांव हैं। लेकिन खेती में सिंचाई के लिए पानी की कमी यहां के किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। गांव के युवा किसान देवराज पिता श्री सजनसिंह राजपूत भी अपनी 4.5 एकड़ जमीन पर फसलों की उचित पैदावार नहीं ले पा रहे थे। सिंचाई संसाधन नहीं होने के कारण इस जमीन से साल में केवल एक फसल लेते थे, जिससे उन्हें 20 से 25 क्विंटल गेहूं की उपज मिलती थी। अर्थात 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़।

खेत तालाब का निर्माण

वर्ष 2016 में समर्थन संस्था द्वारा आई.टी.सी. के सहयोग से संचालित आई.डब्ल्यु.एम.पी. परियोजना के तहत उनहोंने अपने खेत में खेत तालाब का निर्माण कराया। तालाब बनवाने में उनकी लगभग 35 डिसमिल जमीन गई। परियोजना के नियमानुसार उन्होंने कुल लागत का 10000 रूपए अंशदान भी जमा करवाया। गांव की जमीन रेतीली होने के कारण पानी का अन्दर-अन्दर ही रिसकर निकल जाना बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए तालाब की तली में मोटी पोलेथिन बिछायी गई।

तालाब बन जाने पर बारिश के मौसम में सोयाबीन और ठंडी के मौसम में गेहूं की फसल ली जाने लगी। अर्थात साल में दो फसल ली जाने लगी। तालाब के पानी से गेहूं में आराम से 3 बार सिंचाई होने लगी जिससे गेहूं की उपज भी बढ़कर 15-16 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई। इसके अलावा 25-30 क्विंटल सोयाबीन की उपज भी मिलने लगी।

2020 से शुरू किया मछली पालन

किसान देवराज का किसी काम से सीहोर जिले के कादमपुर गांव जाना हुआ। उन्होंने वहां एक खेत तालाब में मछली पालन का काम देखा तो किसान से मिलकर इसकी पूरी जानकारी ली। वर्ष 2020 में उन्होंने अपने अपने खेत तालाब में भी मछली पालन का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने मार्च के महीने में केरल से मछली का बीज बुलाकर तालाब में डाला। जिले के मत्स्य विभाग से सम्पर्क कर तकनीकी मार्गदर्शन भी लेते रहे। 5-6 महीने में जब मछली बड़ी हो गईं तो स्थानीय व्यापारी को 3 लाख में बेच दिया। मछली का बीज और दाने आदि का खर्च निकालकर उन्हें लगभग एक लाख पछहत्तर हजार का शुद्ध मुनाफा हुआ। विगत 3 साल से खेत तालाब में मछली पालन कर रहे हैं, देवराज के अनुसार इस काम में लगभग 60 प्रतिशत का मुनाफा आसानी से हो जाता है।

जिस प्रकार देवराज ने अन्य गांव में खेत तालाब में मछली पालन होता देख अपने यहां मछली पालन शुरू किया, उसी प्रकार धबोटी गांव के पास स्थित आसनाबाद गांव के 3 किसानों ने भी देवराज को देखकर अपने यहां मछली पालन का काम शुरू किया है।

किसान देवराज की कहानी उन किसानों के लिए सबक हैं जो इस डर से कि खेत तालाब बनवाने में जमीन घिर जाएगी, खेत तालाब नहीं बनवाते हैं और पानी की समस्या से जूझते रहते हैं। जिसकी वजह से उन्हें फसलों का उचित उत्पादन भी नहीं मिल पाता है। ऐसे किसानों को देवराज जैसे किसान के यहां जाकर देखना चाहिए और चर्चा कर खेत तालाब बनवाने के नफा-नुकसान का विश्लेषण करना चाहिए।

शराब बनाने, पीने और बेचने पर जुर्माना लगाकर बना दी सड़कें

11 हजार से 51 हजार रूपए तक का जुर्माना, अब तक वसूले 26 हजार

विनोद चौधरी द्वारा

बिहार राज्य के दरभंगा जिले के एक गांव ने शराबबन्दी तोड़ने पर जुर्माना लगाकर विकास की नई नजीर पेश की है। बीते कुछ दिनों में ही 26 हजार रूपए से ज्यादा जुर्माना वसूलकर गांव वालों ने दो सड़कों की कायापलट कर दी।

कुश्वेश्वरस्थान के सुघराईन में शराबबन्दी अभियान को सफल बनाने के लिए सरपंच योगी मुखिया और ग्रामीणों ने स्थानीय वकील राहुल कुमार की अगुवाई में शराबबन्दी के नियम तोड़ने के लिए जुर्माना तय किया है। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इस पर नजर रखने के लिए कमेटी बनायी गई है। ग्रामीण लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यहां शराब बनाने, उसे बेचने और शराब पीने के लिए जुर्माना तय किया गया है। जुर्माने की राशि से गांव में विकास से जुड़े जरूरी काम किये जाते हैं। इन कठिन नियमों को लागू करने के लिए सरपंच की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ था कि शराब बनाते हुए पकड़े जाने पर 11,000

आठ माह बारिश और बाढ़ में घिरे रहते हैं

सुघराईन में शराबन्दी प्रभावी नहीं हो रही थी, इसकी बड़ी वजह यह है कि साल के 8 महीने यहां लोग बाढ़-बारिश से घिरे रहते हैं। न तो समय से पुलिस पहुंच पाती है, न अधिकारी। इससे यहां शराब बनाना, बिक्री करना और उसका सेवन जैसे काम बिना किसी डर के होने लगे। इस पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों ने अभियान चलाया है।

(शेष पेज 7 पर)

(पेज 6 का शेष)

रूपए, बाहर से लाकर बेचने पर 51,000 रूपए और शराब का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर 5100 रूपए जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत द्वारा बनाई कमेटी शक्ति से नियमों का पालन करवाती है। इसके अलावा रोजाना ग्रामीण जुलूस निकाल कर लोगों को शराब से दूर रहने के लिए जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं।

अभियान में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि बीते 8 अक्टूबर से स्थानीय स्तर पर ये नियम लागू किये गए थे। तब से अब तक 26,300 रूपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए हैं। इस फंड से बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई दो सड़कों को बेहतर किया गया है ताकि उन पर गाडियां दौड़ सकें। एक अन्य सड़क पर भी सुधार से जुड़े कार्य किये जा रहे हैं।

महिलाएं, साधु-संत भी समर्थन में

शराबबन्दी के समर्थन में ग्रामीणों के जुलूस में महिलाएं भी शामिल होती हैं। इसके अलावा हर वर्ग और धर्म के लोग भी जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में वैष्णव साधु-संत औक रामानंदी मठ के संतों ने महंत सतन दास के नेतृत्व में जुलूस निकालकर शराबबन्दी की वकालत की।

स्रोत : दैनिक भास्कर समाचार पत्र, दिनांक 7 नवंबर 2022, (शिवजी राय : कुशेश्वरस्थान, दरभंगा)

समूह में निर्णय प्रक्रिया और मतभेद निपटारा

विनोद चौधरी द्वारा

जब किसी उद्देश्य और लक्ष्य के लिए लोग समूह या संगठन के रूप में एक साथ जुड़ते हैं, तो विभिन्न मुद्दों को लेकर उनके बीच मतभेद सामान्य प्रक्रिया है। किसी समूह या संगठन के प्रबंधन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली निर्णय लेने की प्रक्रिया और दूसरी मतभेदों का निपटारा। यदि इन दोनों बातों को नजर अंदाज करने से समूह में बिखराव की स्थिति पैदा होने लगती है। आइए हम इनके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं।

निर्णय प्रक्रिया

इसका मतलब है कि समूह निर्णय कैसे लेता है। उदाहरण के लिए मतदान कराकर, आम राय बनाकर, चुपचाप समझाकर, सदस्यों के बीच में अच्छा सामंजस्य बनाकर आदि। यह निर्णय की परिस्थिति व नेतृत्व की शैली निर्भर करता है। निर्णय कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि,

स्व-निर्धारित : किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाना। वह व्यक्ति जो समूह में प्रभुत्व रखता है निर्णय ले लेता है, बाकि सदस्य उस निर्णय को मान लेते हैं।

जुड़वा : एक व्यक्ति सुझाव देता है तो दूसरा हां में हां भर देता है। ये दोनों व्यक्ति समूह में एक दूसरे के समर्थक होते हैं।

आम राय : ऐसा निर्णय जिसमें सभी सदस्यों की सहभागिता रहती है और सहमति बनायी जाती है।

बहुमत से निर्णय : जिसमें समूह के अधिकतर सदस्य किसी निर्णय के पक्ष में होते हैं।

अल्पमत निर्णय : कई बार कुछ सदस्य किसी निर्णय के पक्ष में दबाव बनाते हैं। यह दबाव अल्पसंख्या सदस्यों द्वारा बनाया जाता है।

अचानक धप्प से निर्णय : एक सदस्य समूह की तरफ से अचानक ही निर्णय कर लेता है।

फ्लॉप निर्णय : ऐसे निर्णय में कोई एक व्यक्ति कुछ सुझाव देता है और बाकी सभी लोग उस सुझाव को उदासीनता से मान लेते हैं।

आम राय से किये गये निर्णय समूह के सदस्यों को अपने साथ जोड़े रखते हैं और क्रियान्वयन को सहज बनाते हैं। जबकि स्वनिर्धारित निर्णय क्रियान्वयन के समय कठिनाई पैदा करते हैं। काल्पनिक आम राय अर्थात वह निर्णय जो कि देखने में लगते हैं कि आम राय है किन्तु क्रियान्वयन करने में कठिनाई पैदा करते हैं, क्योंकि वास्तविकता में उस निर्णय में सबकी सहमति नहीं होती है।

मतभेद निपटारा

समूह के जीवन चक्र में सदस्यों के बीच मतभेदों का होना स्वाभाविक है। समूह सदस्य अलग-अलग पृष्ठभूमि, अनुभव, दृष्टिकोण, मूल्यों से जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त समूह सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वाकांक्षाऐं भी होती है। ऐसी परिस्थिति में निर्णय लेने में, समस्या निवारण में, उपयुक्त चुनाव करने में समय-असमय मतभेद प्रकट होते रहते हैं। कई बार यह मतभेद सामान्य समूह प्रक्रिया में अपने आप ही निपट जाते हैं, लेकिन कई बार इनके पीछे तीव्र भावनायें पनपते रहती हैं और इसके चलते मतभेद गहरा रूप धारण कर लेते हैं। यहां तक कि समूह की प्रक्रियाओं को को बाधित करने लगते हैं।

जब एक व्यक्ति ही किसी समस्या के समाधान के लिए कई विकल्पों के बारे में सोचता है तो एक बड़ा समूह एक समस्या को लेकर अनेकों विकल्पों के बारे में सोचेगा ही। ऐसी स्थिति में विकल्प के चुनाव में कठिनाईयां आती हैं। सदस्य अपने मूल्यों, दृष्टिकोण, निजी स्वार्थ इत्यादि से समझौता करने को तैयार नहीं होते। इसके अलावा महिलाओं और पुरूषों के दृष्टिकोण, समस्याओं और लाभ में भी अन्तर होता है, अर्थात मतभेद समूह में होंगे ही। महत्वपूर्ण यह है कि मतभेद समूह प्रक्रिया को बाधित न करें और समूह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे।

समूह में मतभेद के प्रमुख कारण

- सदस्यों की अलग-अलग पृष्ठभूमि
- सदस्यों के अलग मूल्य एवं दृष्टिकोण
- सदस्यों के निजी स्वार्थ
- तरह-तरह के विकल्पों की सम्भावनायें
- नेतृत्व का प्रभाव

मतभेद निपटारा एक आवश्यक प्रक्रिया है। कई महत्वपूर्ण मतभेदों पर जब खुलकर चर्चा नहीं होती तो वह न तो समाप्त होते हैं, और न ही प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह समूह प्रक्रिया को अन्दर ही अन्दर बाधित करते रहते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही एक मतभेद समाप्त होता है कोई दूसरा शुरू हो जाता है, साथ-साथ तीसरा-चौथा, अतः यह एक सतत प्रक्रिया है। इसलिये मतभेद और उसके निपटारे को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि मतभेदों को एक सकारात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाये। यह भी हमेशा समझें कि समूह में मतभेद तो उभरेंगे ही। मतभेद निवारण के ऐसे तरीक अपनाये जायें जो समूह के अधिकांश सदस्यों को मान्य हो।

मतभेद प्रबंधन के सम्भावित तरीके

मतभेद निपटारे की प्रक्रिया, नेतृत्व व समूह सदस्यों की विश्लेषण क्षमता व मतभेद की परिस्थिति पर निर्भर करेगी किन्तु मतभेद को सही प्रकार से समझना महत्वपूर्ण है, अन्यथा या तो मतभेद, समूह प्रक्रिया और सीख को बाधित करते रहेंगे या फिर हम आवश्यकता से अधिक समय मतभेद निपटारे पर लगायेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में समूह की सामान्य गतिविधियों और लक्ष्य पीछे रह जायेंगे।

मतभेद निपटारे के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं –

- मतभेद के कारण
- मतभेद के पीछे व्यक्ति

कई बार मतभेद प्रत्यक्ष रूप से कहीं ओर दिखता है लेकिन उसके कारण कहीं ओर छिपे होते हैं। उदाहरणतः समूह में किन्हीं दो विकल्पों पर निर्णय लेने में मतभेद उभर सकता है। लेकिन हो सकता है कि उसका वास्तविक कारण नेतृत्व के लिए संघर्ष हो। अर्थात मतभेद को निपटाने के लिये सही मुद्दे तक पहुंचना बहुत आवश्यक है अन्यथा हम काल्पनिक मुद्दों में उलझ जायेंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है मतभेद के पीछे वास्तविक व्यक्ति। कई बार वास्तविक व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं होते या फिर मतभेद का निपटारा करने वाला व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति से चर्चा ही नहीं करता। ऐसी स्थिति में मतभेद और भी बढ़ सकता है।

देशी जुगाड़ से पानी सहेज रहे ग्रामीण

वासुदेव अकोले द्वारा

जल संकट पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। मध्यप्रदेश का बड़वानी जिला भी इससे अछूता नहीं है। वैसे तो मध्यप्रदेश के सभी जिलों में पर्याप्त बारिश होती है, लेकिन बारिश के पानी को रोकने के उचित इंतजाम नहीं होने के कारण पानी बहकर निकल जाता है। एक तरफ तो हम बारिश का पानी रोक नहीं रहे और दूसरी ओर गहरे-गहरे बोर बनाकर जमीन के अन्दर से पानी निकालते जा रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है।

समर्थन संस्था वर्ष 2018 से राजपुर ब्लाक में पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण को लेकर कार्य कर रही है। संस्था के साथी वासुदेव अकोले ने ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर ग्रामीण जनों को पानी की समस्या से अवगत कराते हुए उन्हें छोटे-छोटे बोरी बंधान बनाकर पानी रोकने की सलाह दी। उनके लगातार प्रयास से गांव के लोग इस काम के लिए आगे आए।

बड़वानी जिले के राजपुर ब्लॉक की 7 ग्राम पंचायतें जिनमें टेमला, मोरगुन, देवला, उपला, रेवजा, मंदिल एवं सालखेड़ा शामिल है। यहां के ग्रामवासियों ने अपने गांव के नालों में बोरी बंधान तैयार कर पानी रोका। अच्छी बात यह थी कि इन कार्यों में कोई सरकारी पैसा नहीं लगा, पूरा काम श्रमदान से हुआ। यहां तक की खाली बोरियों की व्यवस्था भी लोगों ने फ्री में इधर-उधर से जुगाड़ ली। यदि यही काम सरकारी पैसे से होता तो लाखों रूपए खर्च होते। दूसरी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने स्वयं श्रमदान किया है तो वे इन बोरी बंधानों की निगरानी भी करेंगे।

सात ग्राम पंचायतों में बनाए गए इन बोरी बंधानों से गांव के कुंओं का जल स्तर बढ़ेगा, पशुओं और निस्तार के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। इसके अलावा अनुमान है कि लगभग 230 किसानों को 70 से 80 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई के लिए भी भरपूर पानी मिल सकेगा। लम्बे समय तक नालों में पानी भरे रहने से गर्मी के मौसम में होने वाली पानी की समस्या में भी कमी आयेगी।

राजपुर ब्लॉक की 7 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा स्थानीय संसाधनों के माध्यम से पानी रोकने के लिए की गई यह पहल सराहनीय है। इस तरह के प्रयास अन्य गांवों में भी होना चाहिए। जल संकट की समस्या का निराकरण स्थानीय लोगों की सहभागिता के बिना संभव नहीं है।

महिलाओं की पहल

कलेर डाबी की कहानी उन्हीं की जुबानी

मुकेश मेढ़ा द्वारा

मेरा नाम कलेर डाबी है और मैं झाबुआ जिले के थांदला विकासखंड से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कोटडा की रहने वाली हूं। मैं पिछले 6 साल से ग्राम संगठन में जुड़ी हूँ। ग्राम संगठन से जुड़ने के बाद मैं संकुल संगठन से ऋण लेकर अपनी आजीविका को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूं। वर्ष 2018 में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया और उसकी सहयोगी संस्था समर्थन ने हमारी ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक परियोजना शुरू की। संस्था के प्रतिनिधियों ने स्व सहायता समूह और ग्राम संगठन की दीदियों के साथ बैठक आयोजित कर अपना तथा संस्था का परिचय देते हुए हमें परियोजना के उद्देश्य से अवगत कराया। परियोजना के उद्देश्यों से प्रभावित होकर ग्राम संगठन की दीदियां संस्था की गतिविधियों में भाग लेने लगीं। संस्था प्रतिनिधियों ने ग्राम संगठन की सदस्यों में से 4 सक्रिय दीदियों का चयन उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और पंचायत की बदलाव दीदी का नाम दिया। मुझे पंचायत की बदलाव दीदी चुना गया। पंचायत की बदलाव दीदी के रूप में, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सकूं इसके लिए मैंने पंचायती राज व्यवस्था और शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर समर्थन संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित होकर जानकारी हासिल की।

वंचित पात्र परिवारों को दिलाया योजनाओं का लाभ

प्रशिक्षण में दी गई जानकारियों के अनुसार मैंने अपने गाँव में कार्य करना शुरू किया। गांव में घूमकर उन लोगों की सूची बनाना शुरू किया जो किसी योजना के लाभ के लिए पात्र तो थे, लेकिन उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। शुरूआत में पंचायत के कर्मचारियों ने विरोध करते हुए मुझे इस कार्य को करने से रोका। मैंने इसकी

सूचना समर्थन संस्था के कार्यकर्ताओं को दी, जिस पर उन्होंने ग्राम पंचायत के कर्मचारियों से बात कर समझाया कि, कलेर डाबी जो कर रही है इसमें उनका उद्देश्य आप लोगों के काम में कमियां निकालना नहीं है बल्कि पात्रतानुसार लोगों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करना है। इसके बाद पंचायत के कर्मचारियों का मेरे प्रति व्यवहार बदल गया और उनका सहयोग भी मिलने लगा। मेरे सहयोग से गांव में 42 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 118 व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड, 13 किसानों को किसान सम्मान निधि, 4 परिवार को राशनपर्ची और 16 परिवारों को नए जॉब कार्ड का लाभ मिला।

मनरेगा के काम में मशीन का उपयोग रूकवाया

कोरोना महामारी के दौरान लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लोगों के पास रोजगार नहीं था। मैंने सरपंच और सचिव से चर्चा कर ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के कार्य शुरू कराने का निवेदन किया। कुछ दिनों बाद ग्राम पंचायत ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए तालाब निर्माण का कार्य शुरू करा दिया। लेकिन पंचायत ने इस काम में मशीन लगा दी, जिसका मैंने गाँव के लोगों के साथ मिलकर विरोध किया और इसकी सूचना जनपद कार्यालय में भी दी। जिस पर काम में मशीन का उपयोग पूरी तरह बन्द हुआ और लोगों को रोजगार मिला।

राशन वितरण व्यवस्था में सुधार

गांव की राशन दुकान से माह में केवल एक दिन ही राशन वितरित किया जाता था। दूसरी व्यस्तताओं के कारण कई परिवार राशन नहीं ले पाते थे। ग्राम संगठन की महिलाओं के साथ मिलकर इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया, जिसके चलते अब सप्ताह में एक दिन अर्थात माह में चार दिन राशन का वितरण किया जाने लगा है।

जीपीडीपी में सहयोग

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनाने में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभायी और महिलाओं से जुड़े कामों को जीपीडीपी में शामिल कराया। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जीपीडीपी में लिए गए सभी कार्यों को ई. ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया, जिसकी शिकायत जनपद सीईओ से की गई। उनके निर्देश पर सभी कार्यों को पोर्टल पर अपलोड किया गया।

"ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की दिनचर्या 'घर के कार्यों से शुरू होकर,घर के कार्यों ' में ही समाप्त हो जाती है" इसीलिए मैं उन सभी महिलाओं से आवहान करना चाहती हूँ, कि वे आगे आयें और घर के साथ-साथ बाहरी व्यवस्थाओं के बारे में भी जानें, ताकि वे स्वयं और अन्य परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ दिला सकें।"

-कलेर डाबी

दीदियां ने बदली ग्राम सभाओं की तस्वीर

दिलीप काग द्वारा

एक समय था जब ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी नगण्य रहती थीं। यदि किसी ग्राम सभा में कुछ महिलायें पहुंच भी जायें तो उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। महिलाएं कुछ देर किसी कोने या पीछे बैठकर वापस चली जाती थीं। लेकिन अलीराजपुर जिले के सोंडवा विकासखंड की ग्राम पंचायतों में अब ऐसी स्थिति नहीं है। महिलाएं बड़ी संख्या में ग्राम सभा में न सिर्फ उपस्थित होने लगी हैं बल्कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों और सार्वजनिक हित के मुद्दों को भी ग्राम सभा में उठाने लगी हैं। संख्या बल बढ़ने से अब ग्राम सभा में उनकी बातों को सुना जाता है और जो भी उचित निर्णय हो लिया जाता है।

यह बदलाव किसी सरकारी नियम कानून के चलते नहीं आया। बल्कि यह बदलाव दीदी के रूप में काम करने वाली उन महिलाओं की कड़ी मेहनत का फल का है जो लम्बे समय से अपने घर के काम-धन्धे छोड़कर महिलाओं को एकजुट होने और ग्राम सभा में जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। महिलाओं द्वारा किये गए प्रयास के परिणाम अब ग्राम सभाओं में महिलाओं की भीड़ के रूप में नजर

आने लगे हैं। दरअसल वर्ष 2018 से अलीराजपुर जिले के सोंढवा विकासखंड में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इन्डिया (ट्रिफ) और उसकी सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को सशक्त बनाने और इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक परियोजना संचालित की जा रही है। जिसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्व सहायता समूह के ग्राम संगठन से एक सक्रिय महिला का चयन बदलाव दीदी के रूप में किया गया है। बदलाव दीदियां अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें इसके लिए उन्हें महिलाओं के हक व अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण, शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल जैसे विषयों पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके पीछे सोच यह है कि परियोजना की समाप्ति पर ये बदलाव दीदियां परियोजना के प्रयासों को सतत रूप से जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी।

आज जो महिलाएं अपनी ग्राम पंचायत के विकास को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, इनमें से ज्यादातर की गतिविधि घर-गृहस्थी के काम या समूह में बचत और आपसी लेनदेन तक सीमित थी। लेकिन परियोजना के तहत समय-समय बैठक और प्रशिक्षण के माध्यम से की गई क्षमतावृद्धि ने इन महिलाओं में विश्वास के साथ-साथ कुशल नेतृत्व क्षमता विकसित की है। इसी का नतीजा है कि आज महिलाएं बेबाकी से अपनी बात पंचायत प्रतिनिधियों और शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों के समक्ष रख सकती हैं।

ग्राम पंचायत उमरठ में बदलाव दीदी के रूप में काम कर रही महंगू पिरला कहती हैं कि, ''अब गांव की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और अपनी बात ग्रामसभा में रखने में सक्षम हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम संगठन की दीदियां ग्राम सभाओं के आयोजन से पहले व्यक्तिगत सम्पर्क और रैली निकालकर न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरूषों को भी ग्राम सभा में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका मानना है कि ग्राम सभा में महिला-पुरूषों की अच्छी भागीदारी से अब सार्थक चर्चा होने लगी है। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के दौरान भी महिलाएं महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत में होने वाले कामों और सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी भी ग्राम संगठन की दीदियों के द्वारा समय-समय पर की जाती है। इसका परिणाम यह है कि पंचायत प्रतिनिधि, सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक खुद को गाँव वालों के प्रति जवाबदेह मानने लगे हैं।

प्रिय पाठक गण,

पंचम् विकास पत्रिका में प्रकाशित लेखों के संबंध में आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। आप नीचे दिए गए पते पर पत्राचार कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हॉट्सएप मैसेज के माध्यम से भी हमें अवगत करा सकते हैं।

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट

36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016,

मोबाइल नंबर – 9406546728

प्रकाशन समर्थन, भोपाल :

सम्पादक मंडलः पंकज पांडे, विनोद चौधरी, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, नारायण परमार, पंकज गुप्ता, मनोहर गौर

पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713